क्र०/मान्यता/नि0वि0फीस/पी/2026 I/1373606/2026

लोक शिक्षण संचालनालय मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल-462023

क्रं०/मान्यता/नि0वि0 फीस/पी/2026/1456 भोपाल,दिनाक 14.10.2026

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर, म0प्र0,
2. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म0प्र0
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म0प्र0
4. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, मध्यप्रदेश।

विषयः- निजी वियालय द्वारा शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिये नियत की गई फीस संरचना (कक्षावार, संवर्गवार एवं मदवार) की जानकारी फीस पोर्टल पर अपलोड करने बावत।

संदर्भः-संचालनालय का पत्र कमांक/विद्या/निवि फीस/पी/422/2022/1797 दिनाक 15/09/2022

--00--

मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मध्यप्रदेश निजी वियालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियम) अधिनियम-2017 एवं नियम-2020 क्रमशः दिनांक 25/01/2018 एवं दिनांक 02/12/2020 को तथा यथासशोधित अधिनियम/नियम 2025 अधिसूचित किये गये है, जो अधिसूचना दिनांक से प्रवृत्त होकर लागू है। उक्त के क्रियान्ययन हेतु संदर्भित पत्र के माध्यम से विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं।

2/ उपरोक्त निर्देशों के क्रम में मध्यप्रदेश के निजी वियालयों को मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियम) नियम-2020 के नियम 3 के उपनियम 1,2,3 एवं 4 के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2027-28 की जानकारी दिनांक 30.04.2027 तक फीस पोर्टल पर अनिवार्यतः प्रविष्ट/अपलोड कराना सुनिश्चित करे।

3/ नियत तिथि के उपरांत शैक्षणिक सत्र 2027-28 की प्रस्तावित फीस संरचना की जानकारी फीस पोर्टल पर अपलोड नहीं करने पर मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र 285/1987746/2024/20-23 भोपाल दिनांक 30.06.2024 के बिन्दु क्रमांक 03 मध्यप्रदेश निजी वियालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम 2020 के नियम 3 के उप नियम-4 के अनुक्रम में प्रक्रिया फीस के साथ-साथ प्रक्रिया फीस की पांच गुना राशि बिलंब के लिए निम्न तालिका अनुसार अर्थदण्ड के रूप में वसूल की जाए-

क्रं.	वियालय में दर्ज छात्र संख्या/नामांकन	संस्थाओं हेतु जमा किये जाने वाला निर्धारित प्रक्रिया शुल्क (प्रतिवर्ष)	निर्धारित समयावधि के उपरांत जानकारी अपलोड करने पर अर्थदण्ड (पांच गुना)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	वियालय जिनका नामांकन 2000 से अधिक	रूपये 5000/-	रूपये 25000/-

Scanned with OKEN Scanner

2	विद्यालय जिनका नामांकन 1001 से 2000 तक	रूपये 3000/-	रूपये 15000/-
3	विद्यालय जिनका नामांकन 501 से 1000 तक	रूपये 2000/-	रूपये 10000/-
4	विद्यालय जिनका नामांकन 500 तक	रूपये 1000/-	रूपये 5000/-

निजी विद्यालयों द्वारा निर्धारित तिथि 30.04.2027 तक फीस पोर्टल पर वांछित जानकारी अपलोड नहीं करने की स्थिति में ऊपर वर्णित तालिका के कॉलम 04 अनुसार अर्थदण्ड की राशि वसूल करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाए।

4/ जिला शिक्षा अधिकारी व जिला परियोजना समन्वयक सुनिश्चित करेगे कि कोई भी निजी विद्यालय फीस पोर्टल पर प्रस्तावित फीस संरचना अपलोड करने हेतु शेष नहीं है। इस आशय का संयुक्त प्रमाण पत्र दिनांक 30.06.2027 तक संचालनालय को अनिवार्यतः उपलब्ध कराया जावे।

Digitally signed by
ABHISHEK SINGH
Date: 14-10-2026
10:11:00

(अभिषेक सिंह)
आयुक्त
लोक शिक्षण म0प्र0

पृ०क्रं./मान्यता/नि0वि0 फीस/पी/2026/1457 भोपाल, दिनाक 14.10.2026

प्रतिलिपि-

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन।
2. सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. सचिव, म0प्र0 माध्यमिक शिक्षा मण्डल/सीबीएसई/आईसीएसई/अन्य बोर्ड।
4. समस्त संभागीय आयुक्त, म0प्र0।
5. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, मध्यप्रदेश भोपाल।
7. समस्त प्राचार्य/संचालक अशासकीय विद्यालय, म0प्र0।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आयुक्त
लोक शिक्षण म0प्र0

Scanned with OKEN Scanner